की ... एवं	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 1	आदेश पर की गई कार्यवाही

जिला दण्डाधिकारी–सह–उपायुक्त का न्यायालय, साहेबगंज।

अधिहरण वाद संख्या– 03/2023–24

राज्य सरकार

–बनाम–

अशोक मंडल

–: आदेश :–

27.06.2023

प्रस्तुत वाद पुलिस अधीक्षक, साहेबगंज के पत्रांक 879/अप0शा0, दिनांक 23.03.2023 से बोरियो (जि0) थाना कांड संख्या 295/2022, दिनांक 22.11.2022, धारा–379/414/175 भा0द0वि0, 21(ए)/21(6) M.M.D.R Act 1957 एवं 04/54 झा0ल0ख0स0नि0 एक्ट 2004 के अन्तर्गत जप्त लगभग 350 घनमीटर स्टोन चिप्स को राजसात करने हेतु प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर वाद प्रारम्भ करते हुए विपक्षी को नोटिस निर्गत कर कारणपृच्छा का माँग किया गया।

मामला संक्षिप्त में निम्न प्रकार हैः– कांड के वादी जिला खनन पदाधिकारी, साहेबगंज के द्वारा दिनांक 21.11.2022 को समय करीब 10:00 बजे जिरवाबाड़ी थानान्तर्गत मदनशाही घाट, चानन घाट, समदा घाट आदि क्षेत्रों में चल रहे अवैध उत्खनन एवं परिवहन का औचक निरीक्षण जिला खनन टास्क फोर्स के सदस्य थाना प्रभारी, जिरवाबाड़ी ओ0पी0 एवं सशस्त्र बल के साथ संयुक्त रूप से किया गया। जाँच के क्रम में मदनशाही घाट पर गंगा नदी के किनारे लगभग 350 घनमीटर स्टोन चिप्स बिखरा हुआ पाया। स्थानीय लोगों से उक्त स्टोन चिप्स के संबंध में पूछताछ करने पर उनके द्वारा बताया गया कि अशोक मंडल, पिता–महेश मंडल, सा0–खुटहरी, थाना–जिरवाबाड़ी ओ0पी0 एवं अज्ञात मदनशाही के लोगों के द्वारा भंडारण किया गया है। तत्पश्चात घटना स्थल पर मौजूद साक्षी 1. नसीम अंसारी, पिता–तजरूल अंसारी, सा0–छोटी मदनशाही, थाना–जिरवाबाड़ी ओ0पी0, जिला–साहेबगंज एवं 2. मो0 सद्दाम हुसैन, पिता–इसराफुल अंसारी, सा0–मदनशाही, थाना–जिरवाबाड़ी ओ0पी0, जिला–साहेबगंज के समक्ष विधिवत जप्ती सूची बनाते हुए 350 घनमीटर स्टोन चिप्स को जप्त किया गया एवं सुरक्षार्थ थाना प्रभारी, जिरवाबाड़ी ओ0पी0 को सुपूर्द किया गया। जिला खनन पदाधिकारी, साहेबगंज के द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक 1123/एम0, दिनांक 21.11.2022 से थाना प्रभारी, जिरवाबाड़ी ओ0पी0 को संलिप्त व्यक्तियों के विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रतिवेदित किया गया, जिसके आधार पर कांड अंकित किया गया।

विपक्षी को दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशित कर पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत किया गया तथा उपयुक्त समय देने के बावजूद जप्त स्टोन चिप्स से

आदेश की क्रमांक एवं तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

संबंधित दावा प्रस्तुत नहीं किया गया। विपक्षी लगातार अनुपस्थित है।

अतएव अभिलेख में उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट प्रतीत होता है कि बोरियो (जि0) थाना कांड संख्या 295/2022, दिनांक 22.11.2022 में जप्त स्टोन चिप्स लगभग 350 घनमीटर अवैध रूप से उत्खनन कर भंडारित किया गया हैं, जिसे राजसात करना उचित प्रतीत होता है।

Before the National Green Tribunal Principal Bench, New delhi के Original Application No. 23/2017 (EZ), Order dated 15.03.2023 के कंडिका–19 के अनुसार "we note from the above compliance status, presented to the Tribunal, that 112 units do not have height lower than the height of wind breaking walls nor they have constructed road for transportation to control dust pollution, as noted at Sr. No. V and VI. They are reported to be merely using water sprinklers to control dust in the course of transportation, adequacy of which is not been verified nor source of availability of water for water sprinklers ascertained. Level of dust pollution is not ascertained. As shown at Sr. No. X, green belt has not been developed except by 131 units. Sr. No. XV shows that 471 vehicles were found not complying with the directions of covering the transported material for which no action was taken against the units but the vehicles were required to pay fine of Rs. 12.88 Lakhs. Only one stone unit has installed PTZ camera and no action has been taken against the violators. Only 35 units have PM_{10} Analyser (Sr. No. XX). Pollution Control Devices have not been installed for which notices have been issued by the State PCB under the Water Act, 1974 and Air Act, 1981 (Sr. No. XXI). Environmental Compensation deposited is said to be less than Rs. 4 crores against levy of Rs. 7 crores compensation. No action has been taken against those who have failed to pay the compensation. The collected amount has not been utilized for restoration measures. Carrying capacity and damage assessment has not been done on the ground that the Expert Institutions are not available and work has now been awarded on 28.01.2023 to Birsa Institute of Technology (Sr. No. XXIII). Comprehensive Environment Management Plan has not been prepared (Sr. No. XXIV). Overloading of vehicles has been found for which fine has been imposed against 167 vehicles"

1. माननीय NGT के Observation के आधार पर Original Application No. 23/2017 (EZ) में दिनांक 15.03.2023 को पारित आदेश के कण्डिका–19 के अनुसार Sr. No. XV shows that 471 vehicles were found not which no action was taken against the units but the vehicles were required to pay

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्यवाही
2	

fine of Rs. 12.88 Lakhs.

2. जिला में चल रहे अवैध माईनिंग एवं परिवहन के रोक–थाम हेतु कठोर कार्रवाई आवश्यक है।

अतः बोरियो (जि0) थाना कांड संख्या 295/2022, दिनांक 22.11.2022, धारा–379/414/175 भा0द0वि0, 21(ए)/21(6) M.M.D.R Act 1957 एवं 04/54 झा0ल0ख0स0नि0 एक्ट 2004 के अन्तर्गत जप्त लगभग 350 घनमीटर स्टोन चिप्स को **The Jharkhand Minerals (Prevention ofillegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2017** का 11(V) के अन्तर्गत राजसात किया जाता है।

जिला खनन पदाधिकारी, साहेबगंज को निदेश दिया जाता है कि थाना प्रभारी, बोरियो (जि0) के उपस्थिति में उक्त स्टोन चिप्स /खनिज को नीलामी कर प्राप्त राशि जिला नजारत में जमा करें।

आदेश की प्रति जिला खनन पदाधिकारी, साहेबगंज/पुलिस अधीक्षक, साहेबगंज एवं थाना प्रभारी, बोरियो (जि0) को भेजें। पारित आदेश से विपक्षी को भी अवगत करावें। वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

- लेखापित एवं संशोधित।

उपायुक्त
–सह–
जिला दण्डाधिकारी,
साहेबगंज।

उपायुक्त
–सह–
जिला दण्डाधिकारी,
साहेबगंज।

Digitally signed by RAMNIWAS YADAV
Date: 2023.07.15 12:15:28 +05:30
Location: 192.168.29.219